कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी धौलाना – हापुड।

पत्रांकः–82/लेखा–ई0नि0/2026–26 दिनांकः– 13-05-2026

ई0 निविदा सूचना

सम्पादक
दैनिक रा0 सहारा/हिन्दुस्तान
धौलाना।

जिलाधिकारी महोदया हापुड़ के आदेशानुसार गौवंशो को औसत 4 कि०ग्रा० गेहूँ भूसा प्रति दिन के खर्चे का आधार मानते हुए वर्तमान में विकास खण्ड धौलाना के गोवंश आश्रय स्थलों पर संरक्षित 975 गोवंश हेतु 04 कि०ग्रा० प्रतिदिन के हिसाब 10 माह हेतु लगभग 11895 कु0 गेहूँ भूसा की आवश्यकता आंकलित की गई है, जिसके ई टेण्डर प्रक्रिया के माध्यम से दर अनुबन्ध करने हेतु विकास खण्ड स्तरीय गौवंश संरक्षण समिति से विचार–विमर्श करते हुए ई–निविदा ऑनलाईन *http://etender.up.nic.in* के माध्यम से निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा दिनांक 28.05.2026 को अपराहन 02 बजे *http://etender.up.nic.in* पर खोली जायेगी। विस्तृत शर्तें एवं निविदा प्रपत्र वेब साईट *http://etender.up.nic.in* पर देखी जा सकती है एवं विकास खण्ड कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा की गयी है।

कृपया उक्त विज्ञापन को प्रकाशन करने की कृपा करे तथा विज्ञापन के बिल भुगतान हेतु इस कार्यालय में भिजवाने का कष्ट करें।

खण्ड विकास अधिकारी
धौलाना–हापुड।

ई–निविदा से संबंधित नियम एवं शर्ते

विकास खण्ड धौलाना जनपद हापुड़ में संचालित अस्थायी/स्थायी गोवंश आश्रय स्थलों में संरक्षित गोवंश 975 के भरण पोषण के लिए गेंहू भूसा की अनुमानित मात्रा 11895 कुन्तल का आपूर्ति **"दर अनुबन्ध"** के माध्यम से किये जाने हेतु ई–निविदा आमन्त्रित की जाती है।

क्र0 सं0	वस्तु	विभागीय सत्यापन के आधार पर गौवंश की संख्या	मात्रा प्रति गौवंश प्रतिदिन	कुल प्रस्तावित दिवसों की संख्या	कुल अनुमानित मात्रा (कु0)	अनुमानित दर/कुन्तल	कुल अनुमानित धनराशि रु
1	भूसा	975	4 कि0ग्रा0	305	11895	500	5947500

1. वित्तीय वर्ष 2026–27 में अनुमानित रुप से 11895 कु0 गेंहू भूसा की आवश्यकता होगी। ई–निविदा का अनुमानित मूल्य रु. 5947500/– (रू0 उनसठ लाख सैंतालीस हजार पांच सौ मात्र) है। ई–निविदा हेतु धरोहर धनराशि रु 594750/– (रु0 पांच लाख चौरानवे हजार सात सौ पचास मात्र) का बैंक ड्राफ्ट/एफ.डी.आर. ई.एम.डी. के रुप में, जो खण्ड विकास अधिकारी धौलाना जनपद हापुड़ के नाम से होगा, उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त ई–निविदा प्रपत्र का मूल्य रु. 1200+18 प्रतिशत जी0एस0टी0 अतिरिक्त देय होगा। निविदा प्रपत्र नॉन रिफन्डेबल है। ई.एम.डी. एवं निविदा प्रपत्र की धनराशि ई–निविदा खोलने से पूर्व कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी धौलाना जनपद हापुड़ में उपलब्ध करायी जायेगी। बिना ई.एम.डी. एवं निविदा मूल्य के निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। यू.पी. प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट ऑफ गुड्स 2016) में निहित व्यवस्थानुसार एम.एस.एम.ई. इकाईयों को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ई.एम.डी. से छूट प्रदान की जायेगी।
2. सशर्त ई–निविदा स्वीकार नहीं होगी।
3. ई–निविदा दो भागों में विभक्त होगी:–

अ) तकनीकी ई–निविदा :– तकनीकी ई–निविदा में फर्म को ई.एम.डी., जी.एस.टी. पंजीकरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति, विगत तीन वर्षों (वित्तीय वर्ष–2023–24, 2024–25 एवं 2025–26) का आयकर विवरण, पैनकार्ड की छायाप्रति, तीन वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र/कार्यपूर्ति आदेश की प्रति एवं रु. 100/– के नान–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर घोषणा उपलब्ध करानी होगी कि उनकी फर्म को किसी भी संस्था द्वारा ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है, उनकी फर्म को दिवालिया घोषित नहीं किया गया है तथा उनका कोई आपराधिक चरित्र नहीं है इसके अतिरिक्त उनका कोई सगा सम्बन्धी विभाग में कार्यरत नहीं है व ई–निविदा की समस्त नियम एवं शर्तें उनको सहर्ष स्वीकार हैं। फर्म का विगत 03 वर्षों का औसत वार्षिक टर्नओवर CA द्वारा प्रमाणित UDIN के साथ निविदा की अनुमानित लागत का न्यूनतम 40 प्रतिशत रू0–237900/– (रू0 तेइस लाख उनासी हजार मात्र) होना चाहिए। उपरोक्त सभी अभिलेख मुहर सहित हस्ताक्षरित पठनीय एवं प्रिन्ट योग्य दशा में स्कैन करके ई–टेण्डर वेबसाइट पर अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। तकनीकी बिड में सफल घोषित होने पर वित्तीय बिड खोली जायेगी। यू. पी. प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट ऑफ गुड्स) में निहित व्यवस्थानुसार एम.एस.एम.ई. इकाईयों को ई.एम.डी., टर्नओवर एवं अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने से छूट प्रदान की जायेगी। यह छूट उत्तर प्रदेश में पंजीकृत इकाईयों को उपायुक्त उद्योग से प्रमाणित एम.एस.एम.ई. प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही प्रदान की जायेगी।

ब) वित्तीय ई–निविदा :– वित्तीय ई–निविदा में फर्म को गेंहू भूसा की न्यूनतम दर ई–टेण्डर वेबसाइट पर बी. ओ.क्यू. के रुप में अपलोड करनी होगी। दर प्रति कु0 अपलोड करनी होगी।

4. ई–निविदादाता द्वारा गेंहू भूसा की दर वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु उपलब्ध करायी जायेगी जो दिनांक 31–03–27 तक मान्य होगी। विशेष परिस्थिति में दर अनुबन्ध को तीन माह तक बढाने का अधिकार जनपद स्तरीय मूल्यांकन, अनुश्रवण एवं समीक्षा समिति की संस्तुति पर होगा।
5. निर्धारित तिथि व समय तक प्राप्त ई–निविदाओं को उपस्थित ई–निविदा दाताओं अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि के समक्ष क्रय समिति द्वारा खोला जायेगा। सर्वप्रथम तकनीकी ई–निविदा खोली जायेगी जिसमें सफल होने पर वित्तीय ई–निविदा खोली जायेगी। क्रय समिति द्वारा न्यूनतम दरों को स्वीकार किया जायेगा।
6. सफल ई–निविदा दाता को ई–निविदा के कुल मूल्य की अनुमानित लागत की 05 प्रतिशत की धनराशि जमानत राशि के रुप में 15 दिवस के अंदर जमा करनी होगी। जमानत राशि एफ.डी.आर. के रुप में खण्ड विकास अधिकारी धौलाना जनपद हापुड के पक्ष में बंधक रखनी होगी। यदि निर्धारित अवधि में जमानत राशि जमा नहीं करायी जाती है तो ई.एम.डी. की धनराशि राजकीय हित में जब्त कर लिया

जायेगा। फर्म को रु. 100 के नान ज्यूडीशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध करना होगा। अनुबंध के असफल होने की दशा में जमानत राशि को जब्त कर लिया जायेगा।

7. क्रय समिति को यह अधिकार होगा कि वह बिना कारण बताये ई–निविदा को निरस्त कर दे।
8. वित्तीय निविदा में प्राप्त दर सामान्य बाजार भाव से अधिक होगीं तो एल–1 से नेगोशियेशन किया जायेगा।
9. मुख्य विकास अधिकारी, हापुड़ द्वारा केवल दर अनुबन्ध किया जायेगा।
10. गेंहू भूसा आपूर्ति के क्रय आदेश निर्गत करने एवं उसके सापेक्ष भुगतान विकास खण्ड धौलाना के संबंधित गौ आश्रय संचालन समिति/सचिव द्वारा किया जायेगा।

आपूर्तिः–

1. गेंहू भूसा तौल की कम्प्यूटराईज पर्ची फर्म द्वारा उपलब्ध करानी होगी। तौल पर्ची का व्यय का फर्म को करना होगा। विकास खण्ड में संचालित अस्थाई गोवंश आश्रय स्थल समिति की मांग के अनुसार उनके द्वारा क्रय आदेश निर्गत किया जायेगा। क्रय आदेश के सापेक्ष गोवंश आश्रय स्थल को फर्म द्वारा गेंहू भूसा की आपूर्ति (मय लोडिंग एवं अनलोडिंग) करते हुए बीजक भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। आपूर्तित गेंहू भूसा की गुणवत्ता के पर्यवेक्षण का उत्तरदायित्व संबंधित का होगा। गुणवत्ता सही होने पर संचालन समिति द्वारा उसका भुगतान फर्म को किया जायेगा।
2. आपूर्ति अधिकतम दो दिवस के अन्दर करनी अनिवार्य होगी। आपूर्ति के अभाव में यदि कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न होती है तो फर्म के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

भुगतानः–

गेंहू भूसा की आपूर्ति का भुगतान क्रय आदेश निर्गत कर्ता संबंधित अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल/वृहद गो संरक्षण केन्द्र के संचालनकर्ता/समिति द्वारा उपलब्ध बजट/धनराशि के सापेक्ष किया जायेगा। भुगतान में देरी के कारण फर्म को किसी प्रकार की ब्याज/पेनाल्टी अथवा अन्य कोई भुगतान अलग से देय नहीं होगा।

गुणवत्ताः–

गेंहू भूसा की आपूर्ति प्राप्त करते समय गुणवत्ता का पर्यवेक्षण किया जायेगा। यदि गेंहू भूसा अधोमानक प्रतीत हुआ तो आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अपने व्यय पर वापस लेना होगा। गेंहू भूसा में किसी प्रकार के हानिकारक पदार्थ, धूल, बाहरी तत्व जैसे लोहे के टुकडे आदि नहीं होने चाहिए।

अन्य शर्तेः–

यदि आपूर्ति के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो नियमानुसार जनपद स्तरीय अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं समीक्षा समिति के निर्णय के माध्यम से निपटारा किया जायेगा जो दोनों पक्षों को मान्य होगा। किसी प्रकार के विधिक प्रकरण में न्याय क्षेत्र जनपद हापुड़ होगा।

लेखाकार वि0ख0 धौलाना	उप मुख्य पशुचिकित्साधिकारी धौलाना	सहा0वि0अ0(पं0) धौलाना सहायक विकास अधिकारी विकास खण्ड – धौलाना जनपद – हापुड़	ख0वि0अ0 धौलाना

Signature Not Verified
Digitally signed by LOKESH KUMAR SHARMA
Date: 2026.05.14 15:04:49 IST
Location: Uttar Pradesh-UP